

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक : ए.4 () लेखा/ब.प्लान/नि: जांच/14-15/1492 दिनांक : 26.02.15

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

विषय:- मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की क्रियान्विति हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन के क्रम में।

संदर्भ:- नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की अनौ0 टी0 क्रमांक 79 दिनांक 10.02.2015

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की क्रियान्विति हेतु यावू वित्तीय वर्ष 2014-15 में संबंधित चिकित्सा संस्थानों की संलग्न परिशिष्ट 1-2 के अनुसार कुल राशि रु. 2783.21 लाख (अक्षरे राशि रूपये सत्ताईस करोड़ तिरसी लाख इककीस हजार मात्र) का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है।

राशि का व्यय विभाग द्वारा जारी गार्डलार्डन दिनांक 30.05.2013 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय के बजट आवंटन पत्र क्रमांक:ए.4(1) लेखा/बीएनपी/14-15/1 दिनांक 01.04.2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी परिपत्रों, वित्तीय नियमों एवं गार्डलार्डन का भी पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए व्यय किया जावे।

नोट-

1. यह राशि मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के लिए ही उपयोग की जायेगी। अन्य किसी कार्य में नही, अन्य किसी कार्य में लेने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।
2. इस योजना में किया जाने वाला व्यय इस योजना हेतु समय-2 पर जारी गार्डलार्डन के साथ-2 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत क्रय किया जावेगा।
3. उपमद 12 सहायतार्थ अनुदान (Grant in aid) का आहरण जी ए 118 प्रपत्र में अथवा सहायतार्थ अनुदान हेतु निर्धारित नवीन प्रपत्र में आहरण किया जाकर व्यय संबंधित चिकित्सा संस्थान की मेडिकल सिलिफ सोसायटी के माध्यम से किया जावे।
4. आई.एफ.एम.एस में अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों को आगे भी आवंटन किया जा सकता है।

संलग्न:- परिशिष्ट 1 व 2

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ए.4 () लेखा/ब.प्लान/नि: जांच/14-15/1492 दिनांक : 26-02-15

प्रतिनिधि :- 1. नोडल अधिकारी (एमएनजेवाई) मुख्यालय की अ0टि0 क्रमांक 79 दिनांक 10.02.2015 के क्रम में सूचनायें प्रेषित है।

मुख्य लेखा अधिकारी (बजट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।